

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-20.06.2018

संख्या-14/प्रो० 119/2016 8222 सा०प्र०- श्री विन्देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-424/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अरवल को विभागीय अधिसूचना सं०-1956 दिनांक 17.02.2017 के द्वारा दिनांक-01.07.2015 के प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति दी गयी थी। श्री वि-देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-424/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अरवल को दिनांक 01.07.2015 के स्थान पर दिनांक-16.12.2016 के प्रभाव से वैचारिक रूप से एवं उनके अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान रु.15,600-39,100 ग्रेड पे रु. 7,600/-, पुनरीक्षित पे लेवल-12) के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति दी जाती है। इस हद तक विभागीय अधिसूचना सं०-1956 दिनांक-17.02.2017 को संशोधित समझा जाय।


2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०- 8222 / पटना-15, दिनांक-20.06.2018
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, अरवल/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ श्री विन्देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-424/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अरवल /प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।